न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः— 30/2021

दायरा दिनांक :— 23.11.2021

अपीलार्थीः—	बनाम	प्रतिवादीगणः—
1. लालाराम पुत्र रामाराम, जाति मेघवाल, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम नाडोल तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)		1. सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी देसूरी, जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज दवे विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूध आदेश दिनांक 01.11.2021 राजस्व विविध प्रकरण संख्या 76/2021 सरकार बनाम लालाराम, न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, देसूरी जिला पाली द्वारा पारित किया गया।

—:निर्णयः— दिनांक 03-03-2022

1. अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट प्रार्थी के विरूद्व पटवारी हल्का नाडोल फर्स्ट द्वारा दिनांक 22.10.2021 को एक रिपोर्ट खसरा नम्बर 1672/5604 के रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल पर अतिक्रमण की तहसीलदार, देसूरी के समक्ष रिपोर्ट पेश की जिस पर धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट प्रार्थी को नोटिस जारी करने की आदेशिका लिखते हुए दिनांक 29.10.2021 को आगामी तारीख रखी गई। जिस पर अपीलान्ट प्रार्थी दिनांक 29.10.2021 को अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक जवाब पेश करते हुए उक्त जमीन पर अपीलान्ट प्रार्थी का किसी प्रकार का अतिक्रमण होने से इन्कार किया गया तथा उक्त भूमि को रास्ते के रूप में प्रयोग किया जाना बताया। अजिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त जबाब की जॉच पटवारी हल्का नाडोल को देकर रिपोर्ट दिनांक 01.11.2021 तक पेश करने का आदेश प्रदान किया एवम दिनांक 01.11.2021 को ही प्रार्थी अपीलान्ट को सुने बगेर केवल पटवारी हल्का की एक तरफा रिपोर्ट पर सुनवाई कर दिनांक 01.11.2021 को ही अधिनस्थ न्यायालय को 3 माह का सिविल कारावास व लगान का 50 गुना जुर्माने से दण्डित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त व विधि, तथ्यों व साक्ष्य के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2. यह है कि पटवारी हल्का द्वारा मौका निरीक्षण के पूर्व अपीलान्ट प्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया और न ही पटवारी हल्का मौके पर उपस्थित होकर भौतिक रूप से उक्त खसरे का निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाई है। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट से द्वेषता रखते हुए तथा अन्य पड़ोसी खसरा के खातेदारों से मिलकर यह झूठी रिपोर्ट तैयार कराई है। अन्य पड़ोसी खातेदारों से प्रार्थी अपीलान्ट का सीमा विवाद होने से उसके द्वारा पटवारी हल्का से गलत रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रार्थी अपीलान्ट को झूठा फॅसाया है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें प्रार्थी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है जबकि उक्त रिपोर्ट में यह कही नहीं लिखा हुआ है कि पूर्व में प्रार्थी अपीलान्ट के उपर अधिनस्थ न्यायालय ने कब, कौनसे अनवान व नम्बर से मुकदमा चला एवम उसका फैसला कब हुआ तथा न ही पूर्व प्रकरण की पत्रावली एवम फैसला रेकर्ड पर है। इन सभी तथ्यों को

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर जल्द बाजी में जो निर्णय दिया है वह काबिले निरस्त है।

3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का नाडोल फर्स्ट के प्रार्थना–पत्र पर जॉच के आदेश देकर दिनांक 01.11.2021 को तारीख नियत की गई। दिनांक 01.11.2021 को पटवारी हल्का नाडोल की रिपोर्ट पर प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया, प्रार्थी अपीलान्ट को जबाब पेश करने का अवसर नही दिया गया, हल्का पटवारी के बयान नही लिये गये तथा प्रार्थी अपीलान्ट को अपने बयान एवम अपनी साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले खारिज योग्य है।

4. यह है कि सजा जैसे कठोर निर्णय दिये जाने से पूर्व जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संविधान द्वारा प्रदत मोलिक अधिकार का प्रश्न निहित होता है उसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही अपनाते हुए प्रार्थी अपीलान्ट को जबाब पेश करने, सुनवाई का अवसर देने, साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नही गई है एवम केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर एक ही पेशी पर एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है।

5. यह है कि प्रार्थी अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 माह की सजा से दण्डित किया गया। सजा से दण्डित इसी दशा में किया जाता है जब उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी हो। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट में प्रार्थी अपीलान्ट का पश्चातवर्ती कब्जा बताकर अतिश्री कर दी गई जबकि पश्चातवर्ती अतिक्रमण के लिये पत्रावली में पूर्व में चले प्रकरण के नम्बर, निर्णय दिनांक तथा उसे बेकब्जा कब किया गया का विवरण रिपोर्ट में अंकित होना चाहिये एवम उक्त पूर्व के आदेश की प्रति व पत्रावली प्रकरण में पेश होकर प्रदर्शित होनी चाहिये। उक्त तमाम साक्ष्य के अभाव में प्रार्थी अपीलान्ट को सिविल कारावास से दण्डित नही किया जा सकता है। जिसमें भी उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है।

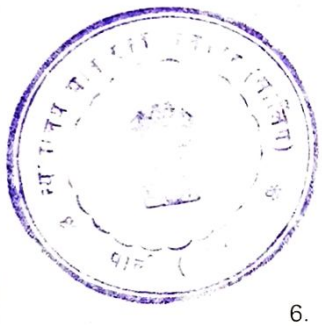

6. यह है कि उक्त प्रकरण में सीमा विवाद है तथा यदि पटवारी द्वारा मौका देखा जाता तो प्रार्थी अपीलान्ट को नोटिस देते तथा प्रार्थी अपीलान्ट के समक्ष यदि नापचौक होता एवम उक्त खसरे पर प्रार्थी अपीलान्ट का यदि गलती से अतिक्रमण पाया जाता तो प्रार्थी अपीलान्ट उसे तुरन्त हटा देता एवम प्रार्थी अपीलान्ट यह भी लिखकर देने को तैयार है कि यदि प्रार्थी अपीलान्ट का उक्त खसरे पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे प्रार्थी अपीलान्ट अपने स्तर पर हटाने के लिये तैयार है व भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करेगा तथा श्रीमान् के आदेशानुसार लिख कर देने के लिये तैयार है।

7. यह है कि अन्य उजरात बरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जा कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता द्वारा सिधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

9. बहस उभयपक्ष सूनी गई।

10. वकील अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान अपील मिमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का नाडोल फर्स्ट द्वारा दिनांक 22.10.2021 को अपीलाण्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट खसरा नम्बर 1672/5604 के रकबा 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल पर

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अतिक्रमण की तहसीलदार, देसूरी के समक्ष रिपोर्ट पेश की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के विरूद्ध अपीलाधिन निर्णय पारित किया गया, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें प्रार्थी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रर्मी बताया है जबकि उक्त रिपोर्ट में यह कही नहीं लिखा हुआ है कि पूर्व में प्रार्थी अपीलान्ट के उपर अधिनस्थ न्यायालय ने कब, कौनसे अनवान व नम्बर से मुकदमा चला एवम उसका फैसला कब हुआ तथा न ही पूर्व प्रकरण की पत्रावली एवम फैसला रेकर्ड पर है। इन सभी तथ्यों को अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर जल्द बाजी में जो निर्णय दिया है वह काबिले निरस्त है।

11. वकील अपीलाण्ट ने द्वितिय तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सजा जैसे कठोर निर्णय दिये जाने से पूर्व जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संविधान द्वारा प्रदत मोलिक अधिकार का प्रश्न निहित होता है उसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही अपनाते हुए प्रार्थी अपीलान्ट को जबाब पेश करने, सुनवाई का अवसर देने, साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नही गई है एवम केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर एक ही पेशी पर एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेशकर श्रीमान् से निवेदन है कि तहसीलदार, देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 76/2021 दिनॉक 01.11.2021 को जो आदेश पारित किया गया है उसे निरस्त फरमावे, सजा व जुर्माने के आदेश को निरस्त फरमावे व अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमावें।

12. रेस्पोडेण्ट कि ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट श्री लालाराम पुत्र रामाराम जाति मेघवाल निवासी नाडोल, तहसील देसूरी, जिला पाली ने खसरा नम्बर 1672/5604 कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म बा.अ. भूमि में से रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। पटवारी हल्का नाडोल–I की रिपोर्ट अनुसार अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी था। इस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् प्रकरण संख्या 76/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 01.11.2021 को अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण अपीलाण्ट को तीन (3) माह का सिविल कारावास की सजा सुनाते हुए बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया, जो विधिसम्मत एवं कानून सही हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.11.2021 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

13. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि तहसीलदार भूमिधारी होने के नाते तहसीलदार को पूर्ण अधिकार हैं कि वे सिवायचक भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने दे तथा किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पाया जाता हैं तो संबंधित तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् विधिसम्मत बेदखली की कार्यवाही की जावे।

14. चुंकि इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का नाडोल फर्स्ट के प्रार्थना–पत्र पर जॉच के आदेश देकर दिनांक 01.11.2021 को तारीख नियत की गई। दिनांक 01.11.2021 को पटवारी हल्का नाडोल की रिपोर्ट पर प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया, प्रार्थी अपीलान्ट को जबाब पेश करने का अवसर नही दिया गया, हल्का पटवारी के बयान नही लिये गये तथा प्रार्थी अपीलान्ट को अपने बयान एवम अपनी साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर नहीं दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं,

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

क्योंकि सजा जैसे कठोर निर्णय दिये जाने से पूर्व जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संविधान द्वारा प्रदत मोलिक अधिकार का प्रश्न निहित होता है उसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कानूनी कार्यवाही अपनाते हुए प्रार्थी अपीलान्ट को जबाब पेश करने, सुनवाई का अवसर देने, साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नही गई है एवम केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर एक ही पेशी पर एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया जो न्याय संगत प्रतित नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी का उनके राजस्व प्रकरण संख्या 76/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.11.2021 को अपास्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 03-03-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)